

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99]

दिल्ली, मंगलवार, जून 11, 2013/ज्येष्ठ 21, 1935

[रा.रा.क्षे.दि. सं. 56

No. 99]

DELHI, TUESDAY, JUNE 11, 2013/JYAISTHA 21, 1935

[N.C.T.D. No. 56

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विकास विभाग

कृषि विपणन निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 11 जून, 2013

सं. एफ 8(03)/2013/डी.ए.एम./एम.आर./6420.—दिल्ली कृषि विपणन (विनियमन) सामान्य नियम, 2000 के नियम 15 के उप-नियम (4) के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल, दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 की धारा 35 के अन्तर्गत गठित कृषि उपज विपणन समितियों को देय निम्न सारणी में दर्शायी गई प्रति चक्कर फीस का सहर्ष निर्धारण करते हैं जो कि ठेला, रेहड़ा, रिक्शा, टैम्पो, ट्रलू चालक या उसके मालिक द्वारा देय होगी—

क्रम. सं०	वाहन का प्रकार	प्रति चक्कर फीस
(1)	दस और उससे ज्यादा पहियों वाले ट्रक (10 से लेकर 30 टन तक माल ले जाने वाले)	100 रु०
(2)	छः और उससे ज्यादा पहियों वाले ट्रक (3.5 से लेकर 10 टन तक माल ले जाने वाले)	60 रु०
(3)	कन्टेनर	50 रु०

2588 DG/2013

(1)

(4)	चार पहियों वाले वाहन (1 से लेकर 3 टन तक माल ले जाने वाले)	20 ₹00
(5)	तीन पहियों वाले वाहन (मोटराइज)	20 ₹00
(6)	नॉन-मोटराइज माल ले जाने वाले (रेहड़ा, रिक्शा, ठेला)	5 ₹00

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के नाम एवं आदेश पर,
रमेश तिवारी, विशेष सचिव (विकास)

DEVELOPMENT DEPARTMENT

(DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING)

NOTIFICATION

Delhi, the 11th June, 2013

No. F 8(03)/2013/DAM/MR/6420.—In pursuance of the provisions of sub-rule (4) of rule 15 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) General Rules, 2000, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to fix per trip fee as given in the table below, payable to the Agricultural Produce Market Committees, constituted under section 35 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 by the owner or Driver of a Thella, Rehra, Rickshaw, Tempo or Truck :—

S.No.	Type of Vehicle	Per Trip Fee
(1)	Truck with 10 tyres & above (carrying 10 tonnes to 30 tonnes)	Rs. 100
(2)	Truck with 06 tyres & above (carrying 3.5 tonnes to 10 tonnes)	Rs. 60
(3)	Container	Rs. 50
(4)	Vehicle with 4 tyres (carrying 1 ton to 3 tonnes)	Rs. 20
(5)	Vehicle with 3 tyres (Motorize)	Rs. 20
(6)	Non motorize carrier (Rehra, Rickshaw, Thella)	Rs. 05

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital
Territory of Delhi,
RAMESH TIWARI, Spl. Secy. (Development)

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 11 जून, 2013

सं. ई.डी. 3 (विविध)/डी.एम.आर.सी./श्रम-ई. आई./08:—बाम्बे लिफ्ट अधिनियम, 1939, जिसका विस्तार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किया हुआ है, की धारा 3 की उप-धारा (ए) के साथ पठित धारा 8 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप-राज्यपाल, दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड के निम्नलिखित अधिकारियों का उपरोक्त

अधिनियम के अन्तर्गत लिफ्ट निरीक्षक के पद पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने एवं प्रदत्त कार्यों के निष्पादन हेतु इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से डी.एम.आर.सी. में उनकी पदावधि तक के लिए नियुक्त करते हैं:—

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पद
1.	श्री एस. सी. जिन्दल	मुख्य विधुत अभियंता
2.	श्री ओ.एच. पाण्डे	मुख्य महा प्रबंधक
3.	श्री ए.के. सिंह	मुख्य विधुत अभियंता
4.	श्री एम.के. सिंघल	मुख्य विधुत अभियंता
5.	श्री डी.एस. परमार	उप मुख्य विधुत अभियंता
6.	श्री मुकेश वाधवा	उप महा प्रबंधक/विधुत

2. दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड के निम्नलिखित अधिकारीगण जिन्हें पूर्व अधिसूचना सं० ई.डी. 3 (विविध)/डी.एम.आर.सी./श्रम-ई. आई./08/1703 दिनांक 22/02/2012 और ई.डी. 3 (विविध)/डी.एम.आर.सी./श्रम-ई. आई./08/5422 दिनांक 22/06/2010 के अन्तर्गत लिफ्ट निरीक्षक के पद पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने एवं प्रदत्त कार्यों के निष्पादन हेतु शक्तियां प्रदान की गई थीं, 21/06/2013 से आगे डी.एम.आर.सी. में उनकी पदावधि तक लिफ्ट निरीक्षक के पद पर कार्य करते रहेंगे:—

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पद
1.	श्री महेन्द्र कुमार	मुख्य विधुत अभियंता - 3
2.	श्री रवि भूषण	उप मुख्य विधुत अभियंता
3.	श्री विश्वेश्वर दयाल	उप महा प्रबंधक/विधुत

3. उपरोक्त अधिकारियों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं कार्यों का निर्वाहन, लिफ्ट संबंधी एवम लिफ्ट संस्थापना जोकि दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. द्वारा अधिग्रहित एवं स्वामित्व वाले सभी भवनों एवं स्थानों पर करेंगे।

4. दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. यह सुनिश्चित करेगी की उपरोक्त अधिकारी दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. स्वामित्व वाले सभी भवनों/स्थानों के अतिरिक्त किसी अन्य भवन/स्थान पर लगी लिफ्ट पर लिफ्ट निरीक्षक का कार्य करने हेतु मान्य नहीं होंगे।

5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा डी.एम.आर.सी. के अधिकारी श्री ए. के. गर्ग, मुख्य महा प्रबंधक को उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत लिफ्ट निरीक्षक के पद पर प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करने एवं प्रदत्त कार्यों के निष्पादन हेतु श्रम विभाग, दिल्ली सरकार दारा जारी अधिसूचना संख्या ई.डी. 3 (विविध)/ डी.एम.आर.सी./श्रम-ई. आई./8/1703 दिनांक 22/2/2012 के अन्तर्गत जो नियुक्ति की थी उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त समझा जाये।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के
नाम पर तथा उनके आदेश से,
रमेश तिवारी, सचिव (श्रम)

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 11th June, 2013

No. ED3 (Misc). /DMRC/Lab-EI/08:—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the Bombay Lifts Act, 1939, as extended to National Capital Territory of Delhi read with sub-section (1) of section 8 of the said Act, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to confer the powers of Inspector of Lifts on the following officers of the Delhi Metro Rail Corporation Limited till their tenure in DMRC.

Sl. No.	Name	Designation
1.	Sh. S.C.Jindal	Chief Electrical Engineer
2.	Sh. O.H. Pande	Chief General Manager
3.	Sh. A.K.Singh	Chief Electrical Engineer
4.	Sh. M.K.Singhal	Chief Electrical Engineer
5.	Sh. D.S. Parmar	Dy. Chief Electrical Engineer
6.	Sh. Mukesh Wadhwa	Dy. General Manager/Electrical

2. The following officers of the Delhi Metro Rail Corporation Limited who were conferred the powers of Inspector of Lifts vide earlier Notification No. ED3(Misc.)/DMRC/Lab-EI/08/1703, dated 22/02/2012 and ED3 (Misc). /DMRC/Lab-EI/08/5422 dated 22/06/2010 would continue to function as Inspector of Lifts till their tenure in DMRC beyond 21/06/2013.

Sl. No.	Name	Designation
1.	Sh. Mahendra Kumar	Chief Electrical Engineer -3
2.	Sh. Ravi Bhushan	Dy. Chief Electrical Engineer
3.	Sh. Vishveshwar Dayal	Dy. General Manager/Electrical

3. That the above mentioned officers shall exercise the powers and perform their respective functions in respect of lifts and its installations located and installed in the premises owned and controlled by Delhi Metro Rail Corporation Limited.

4. However, the Delhi Metro Rail Corporation Limited will ensure that they will not be Inspector of Lifts in respect of lifts installed in any other building not owned or controlled by the Delhi Metro Rail Corporation Limited in the National Capital Territory of Delhi.

5. The powers of Inspector of Lifts conferred on officer of DMRC namely Shri. A.K. Garg, Chief General Manager (E/UG) under clause (a) of section 3 read with sub-section (1) of section 8 of the Bombay Lifts Act, 1939 as extended to N.C.T. of Delhi vide Department of Labour, Government of NCT of Delhi vide Notification No.ED3(Misc.)/DMRC/Lab-EI/08/1703 dated 22.02.2012 stand withdrawn with immediate effect.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

RAMESH TIWARI, Secy. (Labour)

व्यापार एवं कर विभाग

(आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर)

अधिसूचना

दिल्ली, 11 जून, 2013

'सनग्लासिस' के संबंध में दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004

की धारा 85 के अंतर्गत निर्णय

सं. : 337/सीडीवैट/2013/163.-दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिकारी (वार्ड-101) व्यापार एवं कर विभाग ने दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (इसके बाद "उक्त अधिनियम" कहा जाये) की धारा 85 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र निम्नलिखित बिन्दु संबंधी स्पष्टीकरण/निर्णय लेने के लिये दायर किया है:-

"क्या 'सनग्लासिस' दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की तृतीय अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 115 के अंतर्गत आते हैं तथा 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है अथवा इसके अंतर्गत नहीं आते हैं और 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है ?"

2. आवेदक ने अपने दिनांक 26.05.2013 के आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि रे बैन, टाइटन आई+, और बॉन टॉन जैसे 'सनग्लासिस' के बहुत सारे व्यापारी 5 प्रतिशत की दर से मूल्य संवर्धित कर वसूल कर रहे हैं जबकि आरचीज जैसे अन्य व्यापारी 12.5 प्रतिशत की दर से मूल्य संवर्धित कर वसूल रहे हैं जिससे इन मदों पर कर देयता संबंधी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
3. दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की तृतीय अनुसूची की संबंधित प्रविष्टि संख्या 115 की जाँच करना उचित है जो निम्न प्रकार से है :-

"ऐनक, इसके पुर्जे और कम्पोनेंट्स, कान्टेक्ट लेन्स एवं लेन्स क्लीनर"

बोलचाल में 'ऐनक' लेन्सिस वाले फ्रेम हैं जो दोषपूर्ण नेत्र दृष्टि सुधार के लिये पहने जाते हैं। तथापि, 'सनग्लासिस' उड़ती धूल से या सूर्य की चौंध से नेत्रों के बचाव हेतु बचावकारी ग्लासेस की एक किस्म है। प्रायः सनग्लासिस मात्र सौन्दर्य बोधी प्रयोजनों या साधारणतः नेत्रों को छिपाने के लिये पहने जाते हैं।

4. दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 के उपबन्धों की तथा 'ऐनक' और 'सनग्लासिस' जैसे मदों की परिभाषाओं की ध्यानपूर्वक जाँच करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि 'ऐनक' और 'सनग्लासिस' एक दूसरे से भिन्न हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की तृतीय अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 115 विशेष रूप से केवल 'ऐनक' आती है। अतः दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की धारा 85 के अंतर्गत प्रस्तुत अपने आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा उठाए मामले संबंधी निर्णय निम्न प्रकार दिया जाता है:-

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की तृतीय अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 115 के अंतर्गत 'सनग्लासिस' नहीं आते हैं और यह अविनिर्दिष्ट मद है अतः यह दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की धारा 4 (1) (ड़) के अंतर्गत आती है। अतः 'सनग्लासिस' के संबंध में कर की दर 12.5 प्रतिशत है।

यह निर्णय केवल स्पष्टीकरण स्वरूप का है और यह पूर्व प्रभाव अर्थात् 01.04.2005 से प्रभावी होगा, जिस दिन से दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम और दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली प्रभावी हुये।

प्रशांत गोयल, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES**(COMMISSIONER, VAT)****NOTIFICATION**

Delhi, the 11th June, 2013

Ruling under section 85 of DVAT Act, 2004
in respect of Sun Glasses.

No. 337/CDVAT/2013/163.—VATO (Ward-101), Department of Trade & Taxes, has filed an application under section 85 of the DVAT Act, 2004 (herein after called "the said act"), seeking clarification/ruling on the following point:—

"Whether Sun Glasses are covered under entry no. 115 of the 3rd Schedule and taxable @5% or not covered and taxable @ 12.5% under Delhi Value Added Tax Act, 2004?"

2. The applicant in his application dated 26.05.2013 has stated that many dealers of sun glasses like Ray Ban, Titan eye+, and Bon ton are charging VAT @5%, while other dealers like Archies is charging VAT @12.5%, which is creating confusion regarding taxability on these items.
3. It is worthwhile to examine the relevant entry no. 115 of Schedule III of DVAT Act, 2004, which reads as under: -

"Spectacles, parts and components thereof, contact lens & lens cleaner"

In common parlance, spectacles are frames bearing lenses worn for correction of defective vision. However, sunglasses are a kind of protective glasses for eye protection against flying debris or against glare of sun. Sunglasses are often worn just for aesthetic purposes, or simply to hide the eyes.

4. After careful examination of the provisions of DVAT Act, 2004 and definitions of terms like spectacles and sunglasses, it is clear that 'spectacles' and 'sunglasses' are different from each other. Further, the entry no. 115 of schedule III of the DVAT Act, 2004 specifically covers only spectacles. Therefore, the ruling on the question raised by the applicant in his application filed under section 85 of Delhi Value Added Tax Act, 2004 is given as follows:

"The sunglasses are not covered under entry no. 115 of Schedule III of DVAT Act, 2004 and are unspecified item, hence covered under section 4 (1) (e) of the Delhi Value Added Tax Act, 2004. So, the rate of tax in respect of sunglasses is 12.5%."

This ruling is only clarificatory in nature and hence shall be in force from retrospective effect i.e. with effect from 01.04.2005, the day, the DVAT Act and DVAT Rules came into force.

PRASHANT GOYAL, Commissioner, VAT

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157]

दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 27, 2013/आश्विन 5, 1935

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 146

No. 157]

DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 27, 2013/ASVINA 5, 1935

[N.C.T.D. No. 146

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 27 सितम्बर, 2013

सं. एफ. 7(50)/85—ए.एच.डी./भाग—3/3478.—कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार की दिनांक 17 दिसम्बर, 1985 की अधिसूचना सं. 23—11/84—एल.डी.टी. (एल.एच.एस.) (खण्ड 2) के साथ पठित दिल्ली पशु चिकित्सा परिषद् नियमावली, 1988 के नियम-3.1 के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा 1 के खण्ड "क" के अधीन दिल्ली पशु चिकित्सा परिषद् के सदस्यों को चुनने के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के अध्याय 7 के अधीन रखे गये दिल्ली पशु चिकित्सा प्रैक्टिशनर रजिस्टर में नामांकित व्यक्तियों को बुलाते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
जे.पी. अग्रवाल, विशेष विकास आयुक्त

**DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION**

Delhi, the 27th September, 2013

No.F.7(50)/85-AHD/Part-III/3478.—In pursuance of Rule 3.1 of Delhi Veterinary Council Rules, 1988 read with Government of India, Ministry of Agriculture and Rural Development (Department of Agriculture and Cooperation), New Delhi Notification No. 23-116/84-LDT (LHS) (Vol. II) dated 17th December, 1985 the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi calls upon the persons enrolled in the Delhi Veterinary Practitioners Register maintained under Chapter VII of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), to elect members of Delhi Veterinary Council under clause (a) of Sub-section (1) of Section 32 of the said act.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,

J.P. AGRAWAL, Spl. Commr. (Dev.)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 27 सितम्बर, 2013

फा. सं. 50(18)/2012/डीसी/स्था0/14437.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं० फा० 24/78/68—डी (एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 25.7.1980 की सेवा विभाग की पूर्ववर्ती अधिसूचना संख्या 2(33)/79—एस के अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श के पश्चात् स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन औषधि नियंत्रण विभाग में सहायक औषधि नियंत्रक के पद के लिये निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :- (क) इन नियमों को औषधि नियंत्रण विभाग सहायक औषधि नियंत्रक के भर्ती नियम, 2013 कहा जाए।
(ख) ये औषधि दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू समझे जाएंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान** :- उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यताएं** इत्यादि : उक्त पद की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलों उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता** :- ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। शर्त यह है कि यदि केन्द्र सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।
6. **बचाव**— इनकी विनियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

औषधि नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक औषधि नियंत्रक के पद के भर्ती नियम

1.	पदनाम	:	सहायक औषधि नियंत्रक
2.	पदों की संख्या	:	05* (2013) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित
4.	वेतनमान	:	पे बैंड-III, 15600-39100/-रुपये + ग्रेड पे 6600/-रुपये
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	:	पदोन्नति नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में छह वर्ष की सेवा सहित पे बैंड-2 में 4800/-रुपये के ग्रेड पे सहित 9300-34800/- रुपये के वेतनमान में औषधि निरीक्षक। नोट: कोई औषधि सहायक नियंत्रक तब तक सुयोग्य लाइसेंस प्राधिकारी नहीं होगा जब तक उसने निम्नलिखित उत्तीर्ण न किया हो:- (i) विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से फार्मसी अथवा भेषज्य रसायन अथवा कार्य-चिकित्सा में नैदानिक भेषज्य गुणविज्ञान अथवा सूक्ष्मजीव विज्ञान में विशेषज्ञता सहित स्नातक।

		(ii) वह औषधि के निर्माण या परीक्षण अथवा अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन का कम से कम पाँच वर्ष की अवधि का अनुभव रखता हो। शर्त यह है कि शैक्षणिक योग्यता के संबंध में अपेक्षाएं उन निरीक्षकों तथा सरकारी विश्लेषकों पर लागू नहीं होंगी जो 12 अप्रैल, 1989 को पद पर थे)
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	: 'क' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने हेतु) (1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग— अध्यक्ष (2) मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार—सदस्य (3) संबंधित सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार - सदस्य (4) संबंधित विभागाध्यक्ष जब तक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो सदस्य
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	: संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अशोक कुमार, उपा सचिव

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 27th September, 2013

No. F. 50(18)/2012/DC/Estt./14437.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. F. 24/78/68-D(S), dated the 24th September, 1968 and in supersession of the Services Department's earlier Notification No. F. 2(33)/79-S.II dated 25.07.1980, the Lt. Governor, Delhi after previous consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to make recruitment rules for the post of Assistant Drugs Controller in the Drugs Control Department under Health and Family Welfare Department, Government of NCT of Delhi as following, namely:

1. Short title and commencement—

- These rules may be called the Drugs Control Department Assistant Drugs Controller Recruitment Rules, 2013.
- They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, its classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.** - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in the columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.
4. **Disqualifications** - No person, -
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the said post provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax** - Where the Government is of opinion that if necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Asstt. Drugs Controller under the Drug Control Department, Government of NCT of Delhi, Delhi

Name of Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Asstt. Drugs Controller	05* *(2013) subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'A' Gazetted	Rs.15600-39100+6600 (Grade Pay) in PB-III	Selection	N.A.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/or by
--	--	-----------------------------	---

4165 DG/13-2

	apply in the case of promotees		deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
N.A.	No	2 Years	By Promotion

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grade from which promotion/deputation/absorption to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
11	12	13
<p>Promotion</p> <p>Drugs Inspector in the scale of pay of Rs.9300-34800/- with grade pay of Rs.4800/- in PB-2 with 6 years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.</p> <p>Note: An Assistant Drugs Controller shall not be qualified to be a Licensing Authority Unless:</p> <p>(i) He is a graduate in Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or in medicine with specialization in Clinical Pharmacology or Microbiology from University established in India by law and</p> <p>(ii) He has experience in the manufacture or testing of drugs or enforcement of the provisions of the act for minimum period of five years.</p> <p>[provided that the requirements as to the academic qualification shall not apply to those Inspectors and the Government Analysts were holding those on the 12th day of April, 1989].</p>	<p>Group 'A' D.P.C. (for considering promotion)</p> <p>(i) Chairman/Member UPSC – Chairman</p> <p>(ii) Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi – Member</p> <p>(iii) Secretary concerned, GNCT of Delhi – Member</p> <p>Head of Department concerned unless he is ex-officio Secretary in the Govt. of NCT of Delhi - Member</p>	<p>Consultation with U.P.S.C. necessary</p>

By Order and in the name of
Lt. Governor, Delhi.

ASHOK KUMAR, Dy. Secy.

गृह (स्थापना) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 27 सितम्बर, 2013

एफ. सं. 1/02/2009/गृ.पु.-1/स्था./3544 से 3552.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना सं. यू.-11011/2/74-यूटीएल (i) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 2 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 23 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या फा. 1/2/2009/गृ.पु.-1/स्थापना/3609 के अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इसके द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण मुख्यालय, छठा एवं सातवा तल, नई दिल्ली सिटी सेंटर-III बिल्डिंग, जय सिंह रोड़, नई दिल्ली-110001 को थाना के रूप में घोषित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

जी.पी. सिंह, अतिरिक्त सचिव (गृह)

HOME (Police Estt.) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 27th September, 2013

F. No. 1/2/2009/HP-I/Estt./3544 to 3552.—In exercise of the powers conferred by clause (s) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. U-11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974 and in supersession of the Government of National Capital Territory of Delhi Notification No. 1/2/2009/HP-I/Estt./3609 dated the 23rd November, 2009 the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby declares the National Investigation Agency (NIA) Headquarter at 6th and 7th Floor, New Delhi City Centre-II Building, Jai Singh Road, New Delhi-110001 as the Police Station.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,

G.P. SINGH, Addl. Secy. (Home)

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 27 सितम्बर, 2013

सं० ई.डी. 3 (विविध-19)/श्रम-ई0आई/2013/9964.—बाम्बे लिफ्ट अधिनियम, 1939, जिसका विस्तार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किया हुआ है, की धारा 3 की उपधारा (ए) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (1) के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, विद्युत निरीक्षणालय, श्रम विभाग, दिल्ली सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों का उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत लिफ्ट निरीक्षक के पद पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने एवं प्रदत्त कार्यों के निष्पादन हेतु इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से नियुक्त करते हैं:

क्रम सं०.	अधिकारी का नाम	पद
01.	श्री मुकेश गुप्ता	उपविद्युत निरीक्षक
02.	श्री सतपाल सिंह	उपविद्युत निरीक्षक
03.	श्री अरुण कुमार अग्रवाल	उपविद्युत निरीक्षक
04.	श्री मुकेश शर्मा	सहायक विद्युत निरीक्षक
05.	श्री जोगिंदर सिंह लाथर	सहायक विद्युत निरीक्षक
06.	श्री ए. वी. के. राव	सहायक विद्युत निरीक्षक
07.	श्री सुरेश कुमार बुक्का	सहायक विद्युत निरीक्षक
08.	श्री योगेश वर्मा	सहायक विद्युत निरीक्षक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के नाम पर
तथा उनके आदेश से,

रमेश तिवारी, सचिव

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 27th September, 2013

No. ED3 (Misc-19). /Lab-EI/2013/9964:- In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the Bombay Lifts Act, 1939, as extended to National Capital Territory of Delhi read with sub-section (1) of section 8 of the said Act, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to confer the powers of Inspector of Lifts on the following officers of the Electrical Inspectorate of Labour Department, Govt. of NCT of Delhi.

Sl. No.	Name	Designation
1.	Sh. Mukesh Gupta	Dy. Electrical Inspector
2.	Sh. Satpal Singh	Dy. Electrical Inspector
3.	Sh. Arun Kumar Agarwal	Dy. Electrical Inspector
4.	Sh. Mukesh Sharma	Asstt. Electrical Inspector
5.	Sh. Jogender Singh Lather	Asstt. Electrical Inspector
6.	Sh. A.V.K Rao	Asstt. Electrical Inspector
7.	Sh. Suresh Kumar Bukka	Asstt. Electrical Inspector
8.	Sh. Yogesh Verma	Asstt. Electrical Inspector

By Order and in the name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi

RAMESH TIWARI, Secy. (Labour)